

सं. डब्ल्यू-11042/21/2014-एनबीए

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

निर्मल भारत अभियान

12वाँ तल, पर्यावरण भवन

सीजीओ काम्प्लैक्स, लोधी रोड

नई दिल्ली-110003

दिनांक-23/09/2014

सेवा में,

एनबीए राज्य समन्वयक

सभी राज्य

विषय:- एसएलएसएससी द्वारा किसी भी नई जल आपूर्ति योजना के अनुमोदन से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं के लिए योजना से संबंधित।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर संयुक्त सचिव जिला के स्तर पर अ.शा.पत्र सं० डब्ल्यू 11042/04/2014-जल दिनांक- 08/09/2014 की प्रति उचित कार्यवाही के लिए इसके साथ प्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

भवदीय

(क्रिसटीना कुजुर)

अवर सचिव-भारत सरकार

संलग्न: उपरोक्त अनुसार

प्रतिलिपि: 1). तक.निदे.(एनआईसी) वेबसाइट पर डालने के लिए

सत्यब्रत साहू, आई.ए.एस
संयुक्त सचिव

भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
अशा.पत्र सं. डब्ल्यू-11024/4/2014-जल
दिनांक: 8 सितंबर,2014

प्रिय,

दिनांक 25/08/2014 को आयोजित एनआरडीडब्ल्यूजी की राष्ट्रीय समीक्षा के दौरान हुए विचार-विमर्श के आधार पर, 2019 तक स्वच्छ भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित संप्रेषित किया जा रहा है:-

2. अधिकांश राज्यों में आईएचएचएल के निर्माण के संबंध में बहुत ही कम प्रगति नोट की गई है। यह निर्णय किया गया है कि राज्यों के पास ग्रामीणबसावटों के लिए एसएलएसएससी द्वारा किसीभी नई जल आपूर्ति योजना के अनुमोदन से पहले स्वच्छता के लिए (जिसमें आईएचएचएल, विद्यालय और आंगनबाड़ी शौचालय तथा सामुदायिक स्वच्छता काम्प्लैक्स शामिल है) योजना होनी चाहिए।

3. यह देखा गया है कि राज्य पूर्णतः कवर की गई बसावटों को कवरेज दे रहे हैं जबकि अधिकांश आंशिक रूप से कवर और गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को अभी कवर किया जाना बाकी है। अतः यह निर्णय किया गया है कि राज्यों द्वारा पहले से पूर्णतः कवर की गई बसावटों को अतिरिक्त कवरेज (40 एलपीसीडी से अधिक) करने से पहले कम से कम 40 एलपीसीडी उपलब्ध कराने के लिए सभी आंशिक कवर एवं गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को पहले कवर किया जाना चाहिए।

4. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपरोक्त निर्णयों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। एसएलएसएससी की प्रोसीडिंग्स को अनुमोदित करते समय संबंधित एरिया अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे।

सादर,

भवदीय
हस्ता०/-
(सत्यब्रत साहू)

सेवा में,

सभी सचिव/प्रधान सचिव, प्रभारी-ग्रामीण जल आपूर्ति- सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

प्रतिलिपि:-

एमडीडब्ल्यूएस के एरिया अधिकारी

सचिव डीडब्ल्यूएस के पीपीएस

संयुक्त सचिव(स्वच्छता) क पीपीएस

(सत्यव्रत साहू)